दिनाक 26.02.2021
प्रेस विज्ञप्ति—26/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद महोबा/थाना पनवाड़ी

- **25—25 हजार रूपये के दो पुरस्कार घोषित सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर, 12 जीवित, 02 खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 26.02.2021 को थाना पनवाड़ी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर झांसी रोड हरपालपुर लिंक तिराहा मार्ग के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी, पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त अंशू उर्फ आशीष घायल हो गया, जिसे पुरस्कार घोषित अभियुक्त 2. विकास, सहित अभियुक्त 3—प्रीतम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 03 अवैध तमंचा 315 बोर, 12 जीवित, 02 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त 1—अंशू उर्फ आशीष के विरूद्ध जनपद महोबा, जनपद हमीरपुर के विभिन्न थानो में लूट, हत्या का प्रयास, छेड़खानी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग, अभियुक्त विकास के विरूद्ध जनपद महोबा, जनपद हमीरपुर के विभिन्न थानो में लूट, हत्या का प्रयास, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 11 अभियोग व अभियुक्त प्रीतम के विरूद्ध हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है, गिरफ्तार अभियुक्त अंशू उर्फ आशीष व विकास वाछिंत चल रहे थे, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25—25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना पनवाड़ी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अंशू उर्फ आशीष निवासी मसगवाँ थाना राठ जनपद हमीरपुर।

2.विकास निवासी गोहानी थाना मझगवाँ जनपद हमीरपुर।

3–प्रीतम निवासी गोहानी थाना मझगवाँ जननपद हमीरपुर।

बरामदगी

1–03 अवैध तमंचा 315 बोर, 12 जीवित, 02 खोखा कारतूस।

2– घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

जनपद बुलन्दशहर/थाना अरनिया

- **20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 26.02.2021 को थाना अरनिया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम मदकौला के बीच जंगल के किनारे से पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–रवि सहित 2–करनपाल उर्फ केपी को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त रवि शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, जनपद अलीगढ़ व दिल्ली के विभिन्न थानो पर हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट व गैंगेस्टर एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त रवि, थाना अरनिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0–250/2020 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना अरनिया पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त :—</u>

1—रवि निवासी ग्राम ढकपुरा थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।

2—करनपाल उर्फ केपी निवासी सूरजपुर थाना चंडौस जनपद अलीगढ़।

<u>बरामदगीः—</u>

01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस।

<u>कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना बीटा—2</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **डकैती की घटना का अनावरण**
- **डकैती के लगभग 25 लाख रूपये कीमत के 14 कार्टन सिगरेट**
- **डकैती के एक चार पहिया वाहन**
- **03 अवैध तमंचा 03 जीवित, 03 खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 25/26.02.2021 की रात्रि थाना बीटा—2 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान डाढ़ा गोलचक्कर के पास से पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्तों 1—कपिल, 2.रोहित पुत्र शिलेन्दर, 3.रोहित पुत्र गंगाराम घायल हो गया, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से डकैती के लगभग 25 लाख रूपये कीमत के 14 कार्टन सिगरेट, डकैती का एक चार पहिया वाहन, 03 अवैध तमंचा 03 जीवित, 03 खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायलो को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में डकैती, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है। दिनांक 24/ 25.02.2021 की रात्रि में थाना बीटा— 2 क्षेत्रान्तर्गत आईटीसी

गोडाउन में हूई डकैती की घटना के सम्बन्ध में थाना बीटा—2 पर मु0अ0सं0 100/2021 धारा 342/386/395/397 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद माल उक्त डकैती की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बीटा—2 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है.

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रोहित पुत्र शिलेन्दर निवासी घोडी बछेड़ा थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर।

2—कपिल कुमार निवासी घोडी बछेड़ा थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर।

3—रोहित पुत्र गंगाराम निवासी घोडी बछेड़ा थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1—डकैती के लगभग 25 लाख रूपये कीमत के 14 कार्टन सिगरेट

2—डकैती का चार पहिया वाहन

3—03 अवैध तमंचा 03 जीवित, 03 खोखा कारतूस आदि ।

जनपद अलीगढ़/थाना पिसावा

- **लूट की घटना का अनावरण,**
- **02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **लूट के 50 हजार रूपये नगद**
- **01 स्कार्पियों वाहन,**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 26.02.2021 को थाना पिसावा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम जलोखरी गेट के पास से 02 अभियुक्तो 1—रवि 2—रोहित उर्फ बन्टी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 50 हजार रूपये नगद, 01 स्कार्पियों वाहन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनॉक:24.02.2021 को थाना पिसावा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना पिसावा पर मु0अ0सं0–15/2021 धारा 392 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना पिसावा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः–

1–रवि निवासी कालाखोरी थाना जहॉगीरपुर बुलन्दशहर।

2–रोहित उर्फ बन्टी निवासी नकला मुरारी साई बिहार थाना बन्नादेवी जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

1–लूट के 50 हजार रूपये,

2–01 स्कार्पियों गाड़ी

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस।

जनपद बस्ती/थाना परसरामपुर

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **01 किलो 100 ग्राम अवैध चरस,**
- **08 हजार 600 रूपये नगद,**
- **20 एटीएम कार्ड विभिन्न बैंको के,**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनॉकः 25.02.2021 को थाना परसरामपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नगर बहेरा मोड़ के पास से अभियुक्त नीरज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 किलो 100 ग्राम अवैध चरस, 08 हजार 600 रूपये नगद, 20 एटीएम कार्ड विभिन्न बैंको के, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बस्ती व जनपद गोण्डा के विभिन्न थानो में हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट आदि के 19 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना परसरामपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः–

नीरज निवासी पूरे पैकोलिया थाना पैकोलिया जनपद बस्ती।

बरामदगीः–

1–01 किलो 100 ग्राम अवैध चरस,

2–08 हजार 600 रूपये नगद,

3–20 एटीएम कार्ड विभिन्न बैंको के,

4–01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद खीरी/थाना ईसानगर

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 25.02.2021 को थाना ईसानगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना ईसानगर क्षेत्र से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सीताराम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना ईसानगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0–322/2020 धारा 457/380 भादवि व

मु0अ0सं0—387/2020 धारा 401 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना ईसानगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः—

सीताराम निवासी बेतीपूरब थाना ईसानगर जनपद खीरी।

बरामदगीः—

01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस।

जनपद मीरजापुर/थाना चुनार

- **04 वाहन चोर गिरफ्तार**
- **चोरी की 06 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 25.02.2021 को थाना चुनार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान धौहाँ पहाड़ी के पास से 04 अभियुक्तों 1—शैलेष, 2—अजय कुमार उर्फ छोटू, 3—साकेत उर्फ गोलू, 4—गुप्तेश्वर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 06 मोटर साइकिले बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना चुनार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शैलेष निवासी भागलपुर थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर.

2—अजय कुमार उर्फ छोटू निवासी धनसिरिया थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर।

3—साकेत उर्फ गोलू निवासी पुखरौल थाना चुनार जनपद मीरजापुर।

4—गुप्तेश्वर निवासी भागलपुर थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी की 06 मोटर साइकिल।

<u>जनपद सुलतानपुर/थाना बल्दीराय</u>

- **एक शातिर चोर गिरफ्तार**
- **चोरी के लगभग 03 लाख रूपये कीमत के 81 मोबाइल फोन,**
- **01 एलसीडी टीवी, 01 लैपटांप आदि बरामद**

दिनांक 26.02.2021 को थाना बल्दीराय पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर महादेवन रोड़ जग्गी बाबा पुलिया के पास से चेकिंग के दौरान 01 शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के लगभग 03 लाख रूपये कीमत के 81 मोबाइल फोन, 01 एलसीडी टीवी, 01 लैपटांप आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद सुलतानपुर के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 06 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना बल्दीराय पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–रामबहादुर निवासी पूरे जबर का पुरवा थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी के लगभग 03 लाख रूपये कीमत के 81 मोबाइल फोन, 01 एलसीडी टीवी, 01 लैपटांप आदि

<u>साइबर काइमः एस0बी0आई0 लाइफ इंश्योरेशन ऑफिस मुम्बई, कस्टमर केयर अधिकारी बनकर वादी से 180999/— रूपये की ऑनलाइन ठगी करने वाले अन्तर्राज्यीय गैंग के 04 साइबर ठगों को साइबर काइम थाना, अलीगढ़ परिक्षेत्र, अलीगढ़ की टीम ने किया गिरफ्तार।</u>

दिनांकः 29.12.2020 को वादी श्री अतर सिंह, (सैक्शन इंजीनियार रेलवे मुरादाबाद) पुत्र श्री उदयराम सिंह नि0 म0ंन0 254 रेलवे स्टेशन कालौनी सिविल लाइन अलीगढ़ मो0 न0 9760581645 से अभियुक्तों द्वारा एस0बी0आई0 लाइफ इंश्योरेंश मुम्बई ऑफिस कस्टमर केयर अधिकारी बनकर वादी की मिच्यौर एस0बी0आई0 लाइफ इंश्योरेंश पोलिसी की बकाया धनराशि को रिफण्ड कराने का झांसा देकर वादी से आन लाइन 180999/— रूपये की ठगी के सम्बन्ध में वादी द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर परिक्षेत्रीय साईबर क्राइम थाना अलीगढ़ परिक्षेत्र, अलीगढ़ में मु0अ0ंस0 07/2020 धारा 419, 420 भादवि व 66डी आई0टी0एक्ट पंजीकृत किया गया।

उक्त अपराध के सफल अनावरण हेतु उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार गठित टीम द्वारा तकनीकी संसाधनों का प्रयोग करते हुये विवेचना के मध्य प्रभारी निरीक्षक, साइबर क्राइम थाना अलीगढ़ परिक्षेत्र, अलीगढ़ द्वारा अभिसूचना संकलन करके कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

उक्त अभियोग की विवेचना से अभियुक्त 1. आंकिब रजा नि0 28,11 हित्मतपुरी त्रिलोकपुरी सरोदा खादर नई दिल्ली 2. सलमान हैदर पत्रु परवेज हैदर नि0 35/184 ब्लोक 35 त्रिलोकपुरी ईस्ट दिल्ली 3. तारिक पुत्र रफीक नि0 तृतीय तल 20/357 नि0 त्रिलोकपुरी ईस्ट दिल्ली 4. संदीप गुप्ता पुत्र हरिमोहन गुप्ता निवासी फ्लैट नं0 140बी तृतीय तल सैक्टर 2 वैशाली थाना कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद मूल निवासी कैउटरा रेलवे क्रोसिंग बांदा थाना बांदा जिला बांदा उत्तर प्रदेश के द्वारा मिलकर आपराधिक षड़यत्र रच कर साइबर ठगी को अंजाम देने के आधार पर अभियोग में धारा 120बी भा0द0वि0 की बढ़ोत्तरी की गयी।

दिनांकः 25.2.2021 को उक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्त 1.संदीप गुप्ता पुत्र हरिमोहन गुप्ता निवासी फ्लैट नं0 140बी तृतीय तल सैक्टर 2 वैशाली थाना कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद मूल निवासी कैउटरा रेलवे क्रोसिंग बांदा थाना बांदा जिला बांदा उत्तर प्रदेश उम्र करीब 27 वर्ष 2. तारिक पुत्र स्व रफिक निवासी 3 फ्लोर 20/357 त्रिलोकपुरी थाना त्रिलोकपुरी ईस्ट दिल्ली मूल निवासी घोडे वाली गली पूर्वा फयाज अली थाना देहलीगेट जनपद मेरठ उम्र करीब 30 वर्ष 3. हिमांशु शेखर पुत्र स्व0 विशम्बर प्रसाद श्रीवास्तव निवासी फ्लैट नं0 140बी 3तक फ्लोर सैक्टर 2 वैशाली थाना कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद मूल निवासी विद्यापति नगर चकदा मधुबनी बिहार थाना राजनगर बिहार उम्र करीब 32 वर्ष 4. अदनान अख्तर पुत्र अनवर हुसैन निवासी ए/687 गली नं0 18 श्रीराम कालौनी राजीव नगर दिल्ली 94 थाना खजूरी खास दिल्ली 94 मूल निवासी सरधना थाना सरधना जनपद मेरठ उम्र करीब 25 वर्ष_को गिरफ्तारी हेतु साइबर क्राइम थाना अलीगढ़ परिक्षेत्र, अलीगढ़ से गठित टीम द्वारा जनपद गाजियाबाद उ0प्र0 से गिरफ्तार किया।

अपराध करने का तरीकाः–

- अभियुक्तों द्वारा मोबाइल फोन से वादी को काल करके एस0बी0आई0 लाइफ इंश्योरेशन ऑफिस मुम्बई कस्टमर केयर अधिकारी बनकर वादी की उक्त एस0बी0आई0 पोलिसी की जानकारी लेना।
- वादी की मिच्यौर एस0बी0आई0 लाइफ इंश्योरेंश पोलिसी जो कि वादी ने पूर्व में ही विड्राल कर ली थी, में और धनराशि बकाया है अभियुक्तों द्वारा वादी को बताया गया।
- उक्त बताई गयी बकाया धनराशि को ऑन लाइन रिफण्ड कराने का वादी को झांसा दिया।
- वादी से उक्त अतिरिक्त पेमेंट के लिए अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि कुछ परसंटेज पैसे पोलिसी ऐजेण्ट मॉग रहा है, जोकि दिये गये एकाउण्टों में कई बार ऑन लाइन पैसे डलवा कर 180999/– रूपये की ठगी कर ली ।

अभियुक्तों का विवरण :–

1.संदीप गुप्ता पुत्र हरिमोहन गुप्ता निवासी फ्लैट नं0 140बी तृतीय तल सैक्टर 2 वैशाली थाना कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद मूल निवासी कैउटरा रेलवे क्रोसिंग बांदा थाना बांदा जिला बांदा उत्तर प्रदेश उम्र करीब 27 वर्ष	2. तारिक पुत्र स्व रफिक निवासी 3 फ्लोर 20/357 त्रिलोकपुरी थाना त्रिलोकपुरी ईस्ट दिल्ली मूल निवासी घोडे वाली गली पूर्वा फयाज अली थाना देहलीगेट जनपद मेरठ उम्र करीब 30 वर्ष	3. हिमांशु शेखर पुत्र स्व0 विशम्बर प्रसाद श्रीवास्तव निवासी फ्लैट नं0 140बी 3तक फ्लोर सैक्टर 2 वैशाली थाना कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद मूल निवासी विद्यापति नगर चकदा मधुबनी बिहार थाना राजनगर बिहार उम्र करीब 32 वर्ष	4. अदनान अख्तर पुत्र अनवर हुसैन निवासी ए/687 गली नं0 18 श्रीराम कालौनी राजीव नगर दिल्ली 94 थाना खजूरी खास दिल्ली 94 मूल निवासी सरधना थाना सरधना जनपद मेरठ उम्र करीब 25 वर्ष
अभियुक्तो से बरामदगी का विवरणः—			
03—अदद मोबाइल एन्ड्रोइड 1. REDMI NOTE 9 PRO 2. REDMI 8A DUAL IMEI 3- REDMI 9A IMEI 5—किपैड Qksu samsung keypad 13—सिम 07— बैंको के डेबिट कार्ड 01—आर.सी नम्बर DL5SAX1773 01—Mh-,y UP9020160004067 01— पैन कार्ड नम्बर DJPG4098M 01—आधार नम्बर 762179335876 01 वोटर आई कार्ड नम्बर छटट1060417 01—क्राइम इन्फोर्मेशन ब्यूरो का कार्ड संदीप गुप्ता के नाम से 01—AXIS BANK की चेक बुक 01— INDUSLND BANK की चेक बुक 520 रुपये	3 अदद एन्ड्रोइड फोन 1. REDMI 8A DUAL 2- NOKIA 6-1 PLUS 3- SAMSUNG GOLDEN 02— सिम 01— चेक बुक IDFC 01— AXIS BANK VISA CARD 01—EXTRA INCOME CARD 01— FINO PAYMENT BANK RUPAY डेबिट कार्ड 01—GOLD DEBIT VISA CARD 01—तारिक का पैन कार्ड नम्बर BUOPT6581L 01— आधार कार्ड जेब से 340 रुपये	01— लैपटोप समदवअं मय बींतहमत के 02 अदद I PHONE 1- I PHONE 2- I PHONE 3 अदद एन्ड्रोइड फोन 1— MI PHONE 2— REDMI 9 PRIME 3— MI का एक सफेद रंग 04— सिम 01— कीपैड फोन NOKIA RM110 01— चेक बुक पंजाब एण्ड सिंध बैंक 01—बुक UJJVAN SMALL FINANCE BANK 01— HDFC BANK चेक बुक 01& KOTAK MAHINDRA BANK चेक बुक 01— पास बुक BANK OF BARODA 02— UJJVAN SMALL FINANCE BANK RUPAY DEBIT CARD 01– KOTAK MAHINDRA VISA CARD 01– BANDHAN BANK RUPAY DEBIT CARD 01– DIGI BANK BY DBS VISA CARD o FERDRAL BANK RUPAY DEBIT CARD 01— पैन कार्ड हिमांशु कुमार पैन नम्बर DGXPK9951A 01— दूसरी पैन कार्ड हिमांशु शेखर के नाम से पैन नम्बर CQMPS1236A अंकित है 01— आधार कार्ड आधार नम्बर 273094106149 02— मोहर 01— स्टैम्प पैड जेब से 500 रुपये का एक नोट बरामद हुआ	01— लैपटोप HP PAVILION 01— एन्ड्रोइड फोन OPPO F15 02— किपैड मोबाइल 02— सिम 01—पैन कार्ड BRKPA2970H 01— PAYTM PAYMENT BANK RUPAY MsfcV dkMZ PLATINUM 01– IDFC BANK VISA CARD 01— आधार कार्ड नम्बर 385037398290 जेब से 1510 रुपये

एसटीएफः 02 अवैध शराब तस्कर गिरफ्तार

दिनांक 26.02.2021 को एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, मेरठ द्वारा थाना झिंझाना, जनपद शामली क्षेत्र से अवैध शराब हरियाणा मार्का की तस्करी करने वाले गैंग के 02 सदस्यों को **40 पेटी (480 बोतल अग्रेंजी शराब), 45 पेटी (2250 पव्वे अंग्रेजी शराब) एंव 74 पेटी (880 बोतल देशी शराब) (मूल्य लगभग 04 लाख) गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त** हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

1— मोहित पुत्र बिनोद निवासी ग्राम मुंडेर खादर, थाना थाना भवन, जनपद शामली।

2— शलभ पुत्र अनिल निवासी उपरोक्त

बरामदगीः

1. 40 पेटी (480 बोतल अंग्रेजी शराब)
2. 45 पेटी (2250 पव्वें अंग्रेजी शराब)
3. 74 पेटी (880 बोतल देशी शराब)
4. ट्रैक्टर की दो पहिया ट्राली।
5. 27000/— रूपयें नगद।

गिरफ्तारी का स्थान व समय

दिनाक 26.02.2021, स्थानः—ग्राम सापला से करीब 300 मीटर पहले थाना भवन रोड, थाना झिंझानाजनपद शामली समयः—23.30 बजें

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदो में अवैध शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी, जिसके सम्बन्ध मेंएस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में श्री कुलदीप नारायण, पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, मेरठ के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, मेरठ द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही है।

एस0टी0एफ0 फील्ड यूनिट मेरठ की टीम को विश्वस्त सूत्रों एवं मुखबिरों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि हरियाणा राज्य से अवैध शराब की तस्करी की जा रही है, जो पश्चिमी उ0प्र0 के जनपद मेरठ के अतिरिक्त सीमावर्ती जनपदों में ले जाकर सप्लाई की जा रही है।

इसी क्रम में दिनांक 26.02.2021 को विश्वस्त सूत्रों एवं मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि मोहित पुत्र बिनोद निवासी ग्राम मुंडेर खादर, थाना थाना भवन, जनपद शामली अपने ट्रैक्टर ट्राली से अपने साथियों के साथ हरियाणा राज्य से भारी मात्रा में अवैध शराब की तस्करी कर आसपास के जनपदों में सप्लाई कर रहा है। इस सूचना पर यकीन करते हुये व उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुये निरीक्षक श्री रविन्द्र कुमार के नेतृत्व में हे0कां0 जोशी राणा, कान्स0 विवेक पवॉर, कान्स0 विकास धामा एंव कान्स0 रोमिश तोमर एसटीएफ मेरठ टीम का गठन कर मुखबिर को साथ लेकर पिण्डोरा भटटें पर पहुॅची, जहॉ पर चौकी इंचार्ज ऊन थाना झिंझाना शामली मय हमराह फोर्स के मौजूद मिलें। तत्पश्चात एसटीएफ, मेरठ यूनिट टीम एंव थाना झिंझाना पुलिस द्वारा टीम तैयार कर ग्राम सापला की ओर चलें तो सापला से करीब 300 मीटर पहलें मुखबिर ने पुलिस टीम की गाडियों को रूकवाकर पैदल ग्राम सापला की ओर चलने को कहॉ। ग्राम सापला की ओर चलने पर गांव से करीब 100 मीटर पहले मुखबिर द्वारा ईशारा कर बताया कि सामने जो ट्रैक्टर ट्राली में लोग बैठे हैं वह हरियाणा से शराब की तस्करी कर लाये हैं तथा आसपास के क्षेत्र में बेच रहे हैं और मुखबिर वापस हो गया। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करते हुये एस0टी0एफ0 मेरठ यूनिट टीम एंव स्थानीय पुलिस छिपते छिपाते ट्रैक्टर ट्राली की ओर चलें तो 02 व्यक्ति अंधेरे का लाभ उठाकर ट्राली छोडकर ट्रैक्टर लेकर खेतो में भाग गये तथा ट्राली पर बैठें 02 व्यक्तियों को गिरफ्जार कर ट्राली को चैक किया गया तो गततें की पेटियों में उक्त अवैध शराब हरियाणा मार्का बरामद हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तगण ने संयुक्त पूछताछ में बताया कि वह अवैध शराब की तस्करी का अवैध धन्धा पिछलें 6–7 वर्षो से करते आ रहे है। हम लोग हरियाणा से 3 हजार रूपयें की एक पैटी लाते हैं जिसे हम यहॉ लाकर 5 से 6 हजार रूपयें तक बेच

देते हैं। हमारे द्वारा अवैध शराब की तस्करी कर काफी धन एकत्र किया है एंव इसी धंधे से 21 बीघा खेती की जमीन भी खरीदी हैं। यह शराब हरियाणा से तस्करी कर उ0प्र0 के जनपदों में लाकर सप्लाई करते, जिसका प्रयोग आगामी ग्राम पंचायत चुनाव में किया जाना था। इस अवैध शराब को हम ट्राली से ही विभिन्न व्यक्तियों को सप्लाई करते, कि उससे पहले ही आप लोगों ने हमें गिरफ्तार कर लिया। हमारे 02 साथी रोहित पुत्र बिनोद नि0 मुंडेर खादर थाना थानाभवन, शामली व बिनोद पुत्र मांगेराम निवासी उपरोक्त ट्रैक्टर लेकर फरार हो गये हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्व थाना झिझाना, जनपद शामली पर मु0असं0 90/2021 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>एसटीएफः जनपद आजमगढ़ के कुख्यात लुटेरे व रू० 25,000/- के इनामी को एसटीएफ उत्तर प्रदेश ने ठाणे, महाराष्ट्र से किया गिरफ्तार।</u>

दिनॉक 25—02—2021 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को जनपद आजमगढ़ का शातिर लुटेरा व थाना फूलपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 198/2019 धारा 395, 412, 325 भादवि में वांछित रू0 25,000/— के इनामी असवद पुत्र तालिब को ठाणे, महाराष्ट्र से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः</u>–

1— असवद पुत्र तब्बुल उर्फ तालिब निवासी फरिहा, थाना निजामबाद, जनपद आजमगढ़।

<u>कुल बरामदगी</u> :–

1— 02 अदद मोबाईल फोन।

2— 01 अदद डीएल।

3— 01 अदद एटीएम कार्ड।

4— रू0 10,500/— नगद।

गिरफ्तारी का स्थान व समयः-

हरी निवास सर्किल के पास थाना क्षेत्र नौपाडा, ठाणे, महाराष्ट्र दिनांक 25—02—2021 समय 19.00 बजे।

एसटीएफ उ0प्र0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को पुरस्कार घोषित एवं शातिर लुटेरो के गिरफ्तारी हेतु अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जनपद आजमगढ़ के थाना फूलपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 198/2019 धारा 395, 412, 325 भादवि में वांछित एवं रू0 25,000/— के इनामी असवद पुत्र तालिब की गिरफ्तारी हेतु विवेचक/प्रभारी निरीक्षक थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा एसटीएफ उ0प्र0 से सहयोग का अनुरोध किया गया था। जिसके क्रम में श्री प्रमेश कुमार शुक्ल, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ, उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

अभिसूचना संकलन के दौरान विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ कि थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ के एक मुकदमें मे वांछित रू0 25 हजार का इनामी अपराधी असवद उपरोक्त मुम्बई में रह रहा है। इस सूचना पर उ0नि0 श्री संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में मु0आ0 जावेद आलम, मु0आ0 चन्द्र प्रकाश मिश्र, मु0आ0 कवीन्द्र साहनी, मु0आ0 मृत्युन्जय सिंह, मु0आ0 कमाण्डो रामशंकर आदि की एक टीम गठित कर मुम्बई महाराष्ट्र के लिए रवाना की गयी। एसटीएफ टीम मुम्बई पहुॅचकर थाना नौपाडा व अपराध शाखा यूनिट—01 ठाणे महाराष्ट्र पुलिस के सहयोग से वांछित अभियुक्त असवद उपरोक्त को हरी निवास सर्किल से गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछतांछ पर बताया कि वह बचपन से अपने पिता के साथ महाराष्ट्र में रहता था। वर्ष—2008 में किसी बात को लेकर कुछ लोगों से मारपीट हो गयी थी, जिस सम्बन्ध में इसके विरूद्ध अभियोग पंजीकृत हो गया था। उसने विदेश जाने के लिए पासपोर्ट का आवेदन किया किन्तु अभियोग पंजीकृत होने के कारण महाराष्ट्र से पासपोर्ट नहीं बन पाया, तो यह अपने पैतृक गांव फरिहा, जनपद आजमगढ़ आकर पासपोर्ट बनवाने का प्रयास करने लगा। इसी दौरान इसकी मुलाकात उमर से हो गयी,

उमर ने इससे बताया कि एक व्यक्ति हवाला का काफी पैसा लेकर सरायमीर से कस्बा फूलपुर, थाना क्षेत्र फूलपुर जनपद आजमगढ़ आने वाला है, जिससे पैसे लूटना है, इस बात पर यह तैयार हो गया और उमर व उसके साथियों के साथ मिलकर कस्बा फूलपुर में उमर द्वारा लाये गये चार पहिया वाहन में बैठकर उस व्यक्ति का इन्तजार करने लगे, जैसे ही वह व्यक्ति मोटर साइकिल से आया तो यह लोग उसे टक्कर मारकर गिरा दिये और पैसे से भरा बैग छीनकर भाग गये, जिसमे से रू0 1,55,000/– उमर ने इसे हिस्सा दिया था। यह पैसा लेकर वापस मुम्बई भाग गया था। मुम्बई आकर उसने एक झोला गैंग बना लिया था, जिसके सदस्यों द्वारा रूपयों को ले जाने वाले व्यक्तियों की मुखबिरी कर उनके बैग को छीनकर फरार हो जाते थे। साथ ही यह भी बताया कि मुम्बई में रहकर वह स्मैक की सप्लाई का भी काम करता था।

गिरफ्तार अभियुक्त असवद उपरोक्त का ज्ञात अपराधिक इतिहासः–

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	198/2019	395, 412, 325 भादवि	फूलपुर	आजमगढ़
2	203/2019	307 भादवि	फूलपुर	आजमगढ़
3	34/2020	3 (1) गै0 एक्ट	फूलपुर	आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना नौपाडा, जनपद ठाणे शहर महाराष्ट्र में दाखिल किया गया है, जिसे मा0 न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराकर रिमाण्ड पर लेने की कार्यवाही की जा रही है। अग्रिम आवश्यक/विधिक कार्यवाही विवेचना/जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा की जायेगी।

<u>एस0टी0एफ0— अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्य 6.10 क्विंटल अवैध मादक पदार्थ (डोडा) के साथ गिरफ्तार।</u>

दिनांकः 26—02—2021 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से डोडा 6.10 क्विटंल डोडा (मूल्य लगभग 60 लाख रूपये) बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः</u>

1— मो0 इकबाल पुत्र मो0 असलम, नि0 वार्ड नं0 21 शीश महल, थाना बिसौली, जनपद बदायूँ।

2— अशोक कुमार पुत्र लाखन सिंह नि0 देवर खेड़ा, थाना बनिया खेड़ा, जनपद सम्भल।

<u>कुल बरामदगी</u>

1— मादक पदार्थ डोडा 6.10 क्विटल (मूल्य लगभग 60 लाख रूपये)

2— 01 कंटेनर(न0 UK 04 CA 8760)

3— 02 अदद आधार कार्ड।

4— 02 अदद मोबाईल फोन।

5— रूपये 1720/— नगद।

विगत कुछ दिनों से एस०टी०एफ० उत्तर प्रदेश को राची (झारखण्ड) से अवैध मादक पदार्थो की अन्तर्राज्यीय स्तर पर तस्करी करने वाले गिरोहों के सक्रिय होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में श्री अमित कुमार नागर पुलिस उपाधीक्षक के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ0 की एक टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

आरक्षी अशोक राजपूत द्वारा जमीनी स्तर पर अभिसूचना संकलन की गयी, तो जानकारी प्राप्त हुई कि अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थो की तस्करी करने वाला एक गिरोह सक्रिय है, जिसके द्वारा अन्य राज्यों से मादक पदार्थो की तस्करी कर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लाकर विक्रय किया जा रहा है। इस गिरोह के कुछ सदस्य आज एक कंटेनर मे मादक पदार्थ की खेप छिपाकर गाजीबाग तिराहा रानीगंज प्रतापगढ़ होते हुए जनपद बदायूं जाने वाले है। इस सूचना पर विश्वास कर एस0टी0एफ0 की टीम निरीक्षक दिलीप कुमार तिवारी के नेतृत्व में कार्यवाही करने के

उददेश्य से जनपद प्रतापगढ़ पहुँचकर स्थानीय पुलिस को साथ लेकर उक्त अवैध मादक पदार्थ से लदे कंटेनर को गाजीबाग तिराहा रानीगंज प्रतापगढ़ के पास से आवश्यक बल प्रयोग कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि यह माल रांची झारखण्ड के नीरज से लेकर बिसौली,बदायूं निवासी गुलाम साबिर पुत्र मो0 इस्माईल को दिया जाना था। जिसके एवज में हम लोगों को एक चक्कर भाड़ा व पहुचाने तक का रू0 200,000/– मिलता है। गुलाम साबिर पुत्र मो0 इस्माईल अपने क्षेत्र में फुटकर एवं हरियाणा, पंजाब, उत्तराखण्ड आदि जगहो पर बेचता है, जिसका सेवन लोग पीसकर उसमें गुड़ मिलाकर उसकी गोली बनाकर नशे के लिए प्रयोग करते है।

गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्तों के विरूद्ध मु0अ0सं0 95/2021धारा 08/18/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना–रानीगंज, जनपद–प्रतापगढ़ पर अभियोग पंजीकृत कराया गया अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

———————